



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1649]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 9, 2017/ज्येष्ठ 19, 1939

No. 1649]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 9, 2017/JYAISTHA 19, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 2017

(आय-कर)

का.आ. 1860(अ).— आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 120 की उपधारा (1) और (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड एतत् द्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना सं. का. आ. 2914 (अ) दिनांक 13 नवम्बर, 2014, भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग (II), खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 13 नवम्बर, 2014 को प्रकाशित, में निम्नलिखित संशोधन करता है:-

1. उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में क्रम सं. 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

1	2	3	4	5	6
“11	आयकर महानिदेशक (जाँच), उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड	लखनऊ	प्रधान निदेशक/ निदेशक आयकर (जाँच), लखनऊ	लखनऊ	उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड राज्यों के निम्नलिखित राजस्व जिलों की सीमा में आने वाला क्षेत्र: (i). लखनऊ (ii). बाराबंकी (iii). बस्ती (iv). फैजाबाद

					(v). गोंडा (vi). हरदोई (vii). जौनपुर (viii). प्रतापगढ़ (ix). रायबरेली (x). छत्रपति शाहूजी महाराज नगर (अमेठी) (xi). सुल्तानपुर (xii). सीतापुर (xiii). उन्नाव (xiv). लखीमपुर खीरी (xv). बरेली (xvi). पीलीभीत (xvii). बलरामपुर (xviii). बहराइच (xix). अम्बेडकर नगर (xx). शाहजहाँपुर (xxi). इलाहाबाद (xxii). आजमगढ़ (xxiii). चंदौली (xxiv). देवरिया (xxv). फतेहपुर (xxvi). गाजीपुर (xxvii). गोरखपुर (xxviii). कौशाम्बी (xxix). कुशीनगर (xxx). महाराजगंज (xxxi). मऊ (xxxii). मिर्जापुर (xxxiii). संत रविदास नगर (xxxiv). सोनभद्र (xxxv). वाराणसी (xxxvi). बलिया (xxxvii). मुरादाबाद (xxxviii). बिजनौर (xxxix). ज्योतिबा फुले नगर, अमरोहा (xl). रामपुर (xli). बदायूं (xlii). संत कबीर नगर (xliii). सिद्धार्थ नगर (xliv). श्रावस्ती (xlv). संभल
--	--	--	--	--	---

			प्रधान निदेशक/ निदेशक आयकर (जांच), कानपुर	कानपुर	उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड राज्यों के निम्नलिखित राजस्व जिलों की सीमा में आने वाला क्षेत्र: (i). बांदा (ii). चित्रकूट (iii). हमीरपुर (iv). जालौन (v). रमाबाई नगर (कानपुर देहात) (vi). महोवा (vii). कन्नौज (viii). मेरठ (ix). बागपत (x). गाज़ियाबाद (xi). मुजफ्फरनगर (xii). हापुड (xiii). आगरा (xiv). एटा (xv). अलीगढ़ (xvi). औरैया (xvii). हाथरस (xviii). इटावा (xix). फर्रुखाबाद (xx). झांसी (xxi). ललितपुर (xxii). मथुरा (xxiii). फिरोजाबाद (xxiv). मैनपुरी (xxv). काशीराम नगर (xxvi). गौतम बुद्ध नगर (xxvii). बुलंदशहर (xxviii). चमोली (xxix). देहरादून (xxx). हरिद्वार (xxxi). पौड़ी (xxxii). रुद्रप्रयाग (xxxiii). सहारनपुर (xxxiv). टिहरी गढ़वाल (xxxv). उत्तरकाशी (xxxvi). कानपुर

					(xxxvii). शामली (xxxviii). पिथोरागढ़ (xxxix). उधम सिंह नगर (xl). बागेश्वर (xli). नैनीताल (xlii). अल्मोड़ा (xliii). चम्पावत ”
--	--	--	--	--	--

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में अपनी प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

[अधिसूचना सं. 49/2017/ फा. सं.187/37/2014-आईटीए-1]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक